पुलिस आदेश सं० २४३/९४

विषय : गवाहों की अदालत में हाजिरी।

सन् १८६१ में जब पुलिस अधिनियम लागू हुआ था, उस समय दूसरी सरकारी एजेंसियाँ नहीं के बराबर थीं। परिणामस्वरूप हर विभाग को कार्य-संपादन के लिए अपने साधनों पर ही निर्भर करना पड़ता था। यह बात पुलिस विभाग के संबंध में भी सही थी। डाक विभाग का दायरा बहुत छोटा था, इसीलिए पुलिस उसकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती थी। आज डाक विभाग देश के कोने-कोने में पहुँच चुका है। इस व्यापक सेवा का उपयोग नहीं करना हमारी अदूरदर्शिता होगी। दो पुलिस थानों में किए गए प्रयोग ने यह दर्शाया है कि डाक का पता मालूम होने पर गवाहों को अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचित करना बहुत आसान हो जाता है। यह भी पाया गया है कि डाक द्वारा अपने खिलाफ वारण्ट निकलने की सूचना मात्र मिलने से गवाह तत्परतापूर्वक अदालत में उपस्थित हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों के पुराने मुकदमों में जारी किए गए सम्मन का वितरण मुश्किल [illegible] अवगत नहीं होते हैं। चलायमान आबादी [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] पुलिस को सम्मन भेजे बिना भी [illegible] इससे केवल कागजी कामकाज ही कम नहीं होगा [illegible] सकेगा।

डाक पते की उपलब्धि से पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए गवाहों आदि को इस बात [illegible] के लिए बुला सकना भी आसान होगा कि स्थानीय पुलिस द्वारा लिया गया बयान, जो [illegible] आवेदन में दर्ज है, पूर्ण और सही है या नहीं ।

५. तत्कालिक प्रभाव से इस पुलिस आदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जाये [illegible] पदाधिकारी कृपया इसे सुनिश्चित करवायेंगे ।

विजय जैन

(विजय जैन)
[illegible]
[illegible]

अनुलग्नक-[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

विजय जैन

[illegible]